

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला - भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना - प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0 संख्या 149/2022 दिनांक 29/02/2022
2. (1) अधिनियम- पी.सी एक्ट 1988..... धाराएं- 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम..... धाराएं.....
(3) अधिनियम..... धाराएं.....
(4) अन्य अधिनियम एवं..... धाराएं.....
3. (क) घटना का दिन :- मंगलवार दिनांक - 08.02.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - दिनांक 07.02.2022 समय 01.00 पी0एम0
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 559 समय 5:10 P.M
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित या मौखिक)..... लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :-
(क) थाने से दिशा एवं दूरी - दक्षिणी-पश्चिम दिशा की ओर करीब 125 किलोमीटर
बीट संख्या..... जुरामदेही सं.....
(ख) पता :- लोरियल सेलुन, चेतक मार्केट, मस्जिद गली रावतभाटा जिला चित्तौडगढ
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..... जिला
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री आदिल हुसैन अंसारी
(ख) पिता/पति का नाम :- श्री इकरामुद्दीन अंसारी
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- उम्र 28 साल
(घ) राष्ट्रीयता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या..... जारी करने की तिथि..... जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसाय -
- (छ) पता :- आदर्श नगर वार्ड नं. 04, बीएड कॉलेज के पास रावतभाटा जिला चित्तौडगढ
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
 1. श्री गिराज प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री शिवजीराम जाति गुर्जर उम्र 27 निवासी रानोली थाना व तह0 पीपलु
जिला टोंक राजस्थान तत्कालीन कानि 643 थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य:-
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 07.02.2022 समय 01.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी पुत्र श्री इकरामुद्दीन अंसारी जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी आदर्श नगर वार्ड नं. 04, बीएड कॉलेज के पास रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ने ब्यूरो कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां के नाम मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद को पेश किया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित होना बताया। परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी ने मजमून दरयाप्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद को अवगत कराया है कि "प्रार्थी का नाम आदिल हुसैन अंसारी पुत्र श्री इकरामुद्दीन अंसारी जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी आदर्श नगर, वार्ड नं0 04, बीएड कॉलेज के पास रावतभाटा जिला चित्तौडगढ का रहने वाला हूँ। मैं कस्बा रावतभाटा में सेलून और कबाडे का काम करता हूँ। मेरी कबाडे की दुकान मेरे घर के पास ही है। करीब 3-4 दिन पहले रावतभाटा थाने के दो सिपाही गिरिराज और नरेन्द्र मेरे पास आये और कहा कि तुझे सीआई साहब थाने पर बुला रहे हैं और मुझे थाने पर लेकर चले गये। थाने पर मुझे सीआई साहब राजाराम गुर्जर ने कहा कि तू चोरी का सामान खरीदता है, मैं तेरे उपर चोरी का माल खरीदने का केस बना कर तुझे अन्दर कर दूंगा। मैंने सीआई साहब को कहा कि साहब आज तक कभी भी मैंने चोरी का माल नहीं खरीदा है। सीआई साहब ने कहा कि तुझे रावतभाटा में कबाडे का काम करना है तो मुझे 20000 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे और कहा कि पैसे की बात कमलेश हैड साहब, गिरिराज और नरेन्द्र सिपाही से करके पैसे इन्ही को दे देना। मैं ना तो चोरी का माल खरीदता हूँ और ना ही बेचता हूँ तथा ईमानदारी से काम करता हू। मैं रावतभाटा थाने के सीआई साहब, कमलेशजी हैड साहब, गिरिराज और नरेन्द्र सिपाही को रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता हूँ तथा उन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई उधार का लेन-देन बाकी है। कार्यवाही करने की कृपा करे।" परिवादी श्री आदिल हुसैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की परिधि मे आना पाया गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां,

अनिष

जो राजकार्य से कोटा गये हुये हैं, को जर्ज टेलीफोन हालात निवेदन किये गये जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के मौखिक निर्देश फरमाये।

रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत मांग का सत्यापन के सम्बन्ध में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी गिरिराज व नरेन्द्र सिपाही मुझे बार-बार फोन करके पैसे देने के लिये कह रहे हैं वह आज ही मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में बात करेंगे। आज यह दोनो मुझसे रिश्वत के रूप में कुछ पैसे भी देने का दबाव बार बार फोन करके बना रहे हैं। गिरिराज व नरेन्द्र सिपाही को आज मैं कुछ रुपये दे दूंगा जिससे इनको मुझ पर विश्वास हो जायेगा। इस पर परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। समय 02.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी का परिचय श्री दिनेश महावर कानि0 360 से करवाया गया। इसके बाद कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि एवं वार्ता रिकार्ड करने का तरीका भली भांति समझाकर सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के पास जाकर अपने कार्य व रिश्वत के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करे एवं होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे तथा बाद सत्यापन डिजीटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश करे। श्री दिनेश महावर कानि0 360 को परिवादी के यथासंभव नजदीक रहकर वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करने के निर्देश देकर परिवादी के साथ रावतभाटा रवाना किया गया। समय 08.52 पी0एम0 पर श्री दिनेश महावर कानि0 360 ने जर्ज दुरभाष मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री गिरिराज कानि0 व श्री नरेन्द्र कानि0 थाने पर उपस्थित नहीं हैं और उनको परिवादी ने फोन किया तो वह फोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं बाहर जाना ज्ञात हुआ है जिस कारण सत्यापन की कार्यवाही नहीं हो सकी। शाम का समय होने से उनके थाने पर आने की संभावना भी कम ही है। इस पर श्री दिनेश महावर कानि0 के मोबाईल से परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी से बात की तो श्री दिनेश कानि0 की बातों की ताईद की। इस पर श्री दिनेश महावर कानि0 360 को मय परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी को मामले की गोपनीयता बनाये रखते हुये रावतभाटा ही रात्रि मुकीम रहने व कल दिनांक 08.02.2022 को आरोपीगण के उपस्थित आने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 08.02.2022 समय 12.23 पी0एम0 पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दिनेश महावर कानि0 360 व परिवादी श्री आदिल हुसैन को जर्ज दुरभाष आरोपीगण की उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। समय 02.23 पी0एम0 पर परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी ने श्री दिनेश महावर कानि0 360 के मोबाईल से वार्ता कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैंने मेरे मोबाईल से थाना रावतभाटा के सिपाही गिरिराज को फोन किया तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में तेरी दुकान पर ही आता हूँ। इस पर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर दुकान पर ही गिरिराज सिपाही का इन्तजार करने लगा और आपके कार्यालय से मेरे साथ आये श्री दिनेश जी कानि0 मेरी दुकान से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थिति छुपाये हुये खडे हो गये थे। कुछ समय बाद श्री गिरिराज कानि0 थाना रावतभाटा मेरी दुकान पर आया और मुझसे रिश्वत की मासिक बन्दी के सम्बन्ध में वार्ता करने लगा और बातों ही बातों में मुझसे रिश्वत के रूप में 6000 रुपये लेकर अपनी पेन्ट की जेब में रख लिये और बाकी पैसे एक दो दिन में देने को कहा तथा कहा कि आगे से मासिक बन्दी के पैसे दस से दस तारीख को दे देना। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई वह डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया है। परिवादी ने कहा कि मुझे घर पर जरूरी काम है अगर आप कहो तो मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री दिनेश जी कानि0 को दे दूँ। इस पर श्री दिनेश महावर कानि0 360 से वार्ता करने पर श्री दिनेश महावर कानि0 ने परिवादी की बातों की ताईद की। श्री दिनेश महावर कानि0 360 को परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर एसीबी चौकी बारां पहुंचने के निर्देश दिये तथा परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व रिश्वत राशि की व्यवस्था कर एक दो दिन में एसीबी चौकी बारां पर आने की समझाईश कर बारां आने के निर्देश दिये। समय 07.00 पी0एम0 पर गोपनीय सत्यापन हेतु रवानाशुदा श्री दिनेश महावर कानि0 360 उपस्थित कार्यालय आया और मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद को पूर्व से परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी को सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री आदिल हुसैन को कस्बा रावतभाटा ही उसके आवश्यक कार्य होने से मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकुशल छोड़ दिया था। श्री दिनेश महावर कानि0 360 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि दिनांक 07.02.2022 को एसीबी कार्यालय बारां से मैं और परिवादी श्री आदिल हुसैन रवाना होकर रावतभाटा पहुंचे। रावतभाटा थाने पर आरोपीगण श्री गिरिराज कानि0 व श्री नरेन्द्र कानि0 के सम्बन्ध में जानकारी की तो थाने पर उपस्थित नहीं मिले व बाहर जाना ज्ञात हुआ। परिवादी ने इनको फोन किया तो परिवादी का फोन नहीं उठाया। इस पर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी व मैंने रात्रि मुकीम रावतभाटा ही किया। दिनांक 08.02.2022 को परिवादी श्री आदिल हुसैन ने आरोपी श्री गिरिराज कानि0 को फोन किया तो उसने कुछ देर बाद परिवादी की दुकान पर ही आने को कहा। इस पर परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर मैं परिवादी की दुकान से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थित छुपाये हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी की दुकान पर एक व्यक्ति आया और कुछ समय बाद वार्ता करके चला गया। परिवादी ने मुझे उसकी दुकान पर आने का ईशारा किया। इस पर मैं परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द करके स्वयं के पास रखा और मुझे बताया कि यह जो व्यक्ति अभी अभी मेरे पास से गया है यह गिरिराज सिपाही है जिसने मुझसे अभी मासिक बन्दी के सम्बन्ध में वार्ता की और वार्ता के दौरान ही मुझसे 6000 रुपये लेकर अपनी पेन्ट की जेब में रख लिये थे तथा बाकी पैसे एक दो दिन बाद देने के लिये कहा है। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई है वह इस डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है।" इस पर मेरे द्वारा परिवादी की वार्ता श्रीमान से करवायी गई। श्रीमान के

अनिष

निर्देशानुसार परिवादी ने बन्द हालत में डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया तथा मैं परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रावतभाटा ही छोड़कर डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर एसीबी कार्यालय बारां आ गया। श्री दिनेश महावर कानि0 360 द्वारा पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो रिश्वत मांग का सत्यापन होना एवं परिवादी की बात की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 09.02.2022 समय 10.00 ए0एम0 पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक को परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी ने जय्ये दुरभाष अवगत कराया कि " गिरिराज कानि0 मुझे फोन करके आज ही पैसे देने के लिये कह रहा है और वह पैसे लेने के बाद गावं जाने की कह रहा है। वह आज ही मुझसे पैसे लेगा।" इस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कस्बा रावतभाटा में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय 10.30 ए0एम0 पर सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम बारां के नाम पत्र जारी कर श्री दिनेश महावर कानि0 को देकर दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु रवाना किया गया। समय 11.15 ए0एम0 पर रवानाशुदा श्री दिनेश महावर कानि0 मय स्वतंत्र गवाह श्री शिवराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 34 साल निवासी गणेश मेटल के पीछे, मांगरोल रोड बाईपास बारां हाल सहायक वाणिज्यक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां एवं श्री मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मुण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां हाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां के उपस्थित आया। स्वतंत्र गवाहों से ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहों ने मौखिक सहमति प्रदान की। समय 12.30 पी0एम0 पर मालखाना से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखवायी गई तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण भी वाहन में रखवाये गये। इसके बाद सरकारी वाहन बोलेरा में मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री शिवराज व श्री मनोहरलाल मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07, श्री राजेन्द्र मालव कानि0 391, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश महावर कानि0 360, श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक मय चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित रावतभाटा के लिये रवाना हुआ। श्रीमती किरण महिला कानि0 589 को कार्यालय में छोड़ा गया। मय 03.30 पी0एम0 पर उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री शिवराज व श्री मनोहरलाल मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07, श्री राजेन्द्र मालव कानि0 391, श्री बबलेश कानि0 261, श्री दिनेश महावर कानि0 360, श्री यशवंत शर्मा कानि0 मय चालक श्री नरेन्द्र सिंह मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले सामान मय सरकारी वाहन बोलेरो के परिवादी के निवास स्थान रावतभाटा पहुंचा। दोनो गवाहो का परिवादी आदिल हुसैन से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहो को पढ़कर सुनाया गया। दोनो गवाहो ने प्रार्थना पत्र पढ़कर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.50 पी0एम0 पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में दिनांक 08.02.2022 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता को, डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज व श्री मनोहरलाल एवं परिवादी श्री आदिल हुसैन को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी श्री गिरिराज कानि0 थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में श्री दिनेश महावर कानि0 360 से लेपटॉप के स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट हू ब हू नियमानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में तैयार करवायी गयी, जिसे संबंधितों ने पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 04.50 पी0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज एवं श्री मनोहरलाल के समक्ष परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी पुत्र श्री इकरामुद्दीन अंसारी जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी आदर्श नगर वार्ड नं. 04, बीएड कॉलेज के पास रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पास से निकालकर आरोपी श्री गिरिराज कानि0 को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रुपये के अठारहस नोट कुल 14 हजार रुपये मन् उप अधीक्षक पुलिस, अनिष अहमद को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6 FE 233088
2.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1 SB 627717
3.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9 QV 230486
4.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4 EP 100020
5.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5 KQ 000342
6.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6 BT 119277
7.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5 HD 561974
8.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9 HR 881960
9.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2 UF 181009
10.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1 TR 736694
11.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2 AK 500903
12.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8 DE 404727
13.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0 DD 120400

अनिष

14.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7 DC 179026
15.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1 DE 669373
16.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1 AB 838889
17.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0 NN 727947
18.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6 HP 396865
19.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3 NA 145257
20.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6 RE 913123
21.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9 MH 110098
22.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7 GB 731547
23.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4 NM 095107
24.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5 KF 601509
25.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9 AV 574500
26.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5 NR 837896
27.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4 AU 416482
28.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3 DQ 119515

श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफथलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री आदिल हुसैन की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनोहरलाल से लिवाई गई। परिवादी श्री आदिल हुसैन के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोड़कर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 14 हजार रुपये को परिवादी की पहनी पेन्ट की सामने की बायीं जेब में श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मँगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी आदिल हुसैन को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या मेरे मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर रिश्वत प्राप्ति का इशारा करे। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री आदिल हुसैन को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के यथासंभव नजदीक रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। फिनोफथलीन पावडर की शीशी व काम में लिया गया गिलास श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक को देकर बोलेरो के लिये रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी ने अवगत कराया कि गिरिराज कानि० मेरी सेलून की दुकान पर ही मुझसे बात करने आता है। सत्यापन के दौरान भी उसने वही आकर मुझसे 6000 रुपये लिये थे। वह वही पर मुझसे रिश्वत राशि लेने आयेगा। समय 05.30 पी०एम० पर परिवादी श्री आदिल हुसैन को मय सुपुर्दशुदा सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर के उसकी दुकान पर रवाना किया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि "आरोपी गिरिराज कानि० से दुकान पर पहुचकर जर्ज मोबाईल सम्पर्क कर आरोपी के आने की कहने पर डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर लेना तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने के पश्चात रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित इशारा कर देना"। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सरकारी वाहन को परिवादी के निवास से काफी पहले छुपा कर खडा करवाया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता परिवादी की दुकान के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाये हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में ट्रेप जाल बिछाकर खडा हुआ। समय 05.50 पी०एम० पर परिवादी श्री आदिल हुसैन ने जर्ज मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी श्री गिरिराज कानि० मेरा फोन नही उठा रहा है। इस पर परिवादी को दुकान पर ही रुके रहने व आरोपी के आने का इन्तजार करने की हिदायत दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता परिवादी की दुकान के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाये हुये खडे रहे। समय 06:30 पी०एम० पर परिवादी श्री आदिल हुसैन ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जर्ज मोबाईल अवगत कराया कि "मेरे पास श्री गिरिराज कानि० थाना रावतभाटा का फोन आया है। श्री गिरिराज कानि० ने कहा कि मैं गाडी पर चल रहा था इसलिये तुने जो मुझे फोन किया था वह मैं देख नही पाया। मैंने गिरिराज कानि० से दुकान पर आने व पैसे ले जाने के लिये कहा था गिरिराज कानि० ने कहा कि मैं अभी अर्जेन्ट में गांव जा रहा हूँ। गांव से वापस आकर ले लूंगा। इस पर मैंने गिरिराज कानि० से कहा कि मेरे पास से पैसे खर्च हो जायेंगे तो उसने कहा कि

अभिष

कोई बात नहीं तेरे पास आने के बाद दे देना!" परिवारी के बताये अनुसार आरोपी के बाहर चले जाने से ट्रेप कार्यवाही की आज संभावना नहीं होने से मन् उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के परिवारी की दुकान पर पहुचा। समय 06.40 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाह श्री मनोहरलाल से परिवारी की जेब में रखी रिश्वत राशि निकलवाकर एक खाकी रंग के लिफाफे में रखवाकर स्वतंत्र गवाह के पास ही सुरक्षित रखवायी गई। परिवारी से पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। परिवारी को हिदायत दी गई कि आईन्दा आरोपी श्री गिरिराज कानि0 के उपस्थित आने पर आरोपी से वार्ता कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करे। समय 07.00 पी0एम0 पर परिवारी श्री आदिल हुसैन को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रावतभाटा ही छोडकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज व श्री मनोहरलाल मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0, श्री राजेन्द्र मालव कानि0, श्री बबलेश कानि0, श्री दिनेश महावर कानि0 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 मय साथ लाये ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व अन्य सामग्री के रावतभाटा से बारां के लिये रवाना हुआ। समय 09.40 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां पहुचा। स्वतंत्र गवाह श्री मनोहरलाल से रिश्वत राशि का लिफाफा प्राप्त कर सुरक्षित जर्जे इस्माईल अंसारी हैड कानि0 के मालखाना में रखवाया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर को भी सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। परिवारी से सम्पर्क होने पर परिस्थितियों अनुसार आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। तत्पश्चात दिनांक 16.02.2022 समय 11.00 ए0एम0 पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस ने परिवारी श्री आदिल हुसैन अंसारी से जर्जे दुरभाष सम्पर्क किया तो परिवारी ने अवगत कराया कि "गिरिराज कानि0 थाना रावतभाटा अभी अवकाश से वापस नहीं आया है और ना ही उससे मेरा फोन से सम्पर्क हुआ है। गिरिराज कानि0 के थाने पर उपस्थित आने या उसके द्वारा मुझसे सम्पर्क करने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा।" इस पर परिवारी को आरोपी श्री गिरिराज कानि0 के उपस्थित आने पर सूचित करने की समझाईश की गई। परिवारी से सम्पर्क होने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 28.02.2022 समय 08.12 पी0एम0 पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को परिवारी श्री आदिल हुसैन अंसारी ने जर्जे दुरभाष अवगत कराया कि "गिरिराज कानि0 थाना रावतभाटा पर उपस्थित आ गया है। परन्तु वह ना तो मेरे पास रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करने आया है और ना ही उसने मुझसे सम्पर्क किया है। वह छिपा-छिपा फिर रहा है। थाने मे भी रावतभाटा में एसीबी के आने की अफवाह चल रही है। लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। इसलिये वह मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता नहीं कर रहा है। गिरिराज कानि0 द्वारा मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा।" परिवारी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी कानि0 द्वारा रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर सूचित करने हेतु समझाईश की गई। दिनांक 15.03.2022 समय 02.43 पी0एम0 पर मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को परिवारी श्री आदिल हुसैन अंसारी ने जर्जे दुरभाष अवगत कराया कि "दिनांक 02.03.2022 को रावतभाटा सीआई साहब राजाराम गुर्जर ने मुझे गिरफ्तारी वारन्ट में थाने में बंद कर दिया था और मेरे साथ काफी मारपीट की और मेरे से बोला कि तूने एसीबी में हमारी शिकायत करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे देख लूंगा और मुझे जेल भिजवा दिया। दिनांक 09.03.2022 को मेरी जमानत हुई तब मैं जेल से बाहर आया। रावतभाटा सीआई और उनका स्टाफ मुझे डरा धमका रहे है। इन लोगो को मेरे द्वारा एसीबी में शिकायत करने की जानकारी हो गई है। इसलिये ये लोग अब मुझसे न तो रिश्वत की बात करेंगे और ना ही रिश्वत राशि लेंगे। अब गिरिराज कानि0 मुझसे पैसे नहीं लेगा " परिवारी के बताये अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नहीं होने से परिवारी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बारां आने के निर्देश दिये। परिवारी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 22.03.2022 समय 11.00 ए0एम0 पर परिवारी श्री आदिल हुसैन ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि लौटाने के सम्बन्ध में मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का प्रस्तुत किया कि " मेरे द्वारा आपकी चौकी पर मैंने रावतभाटा थाने के सीआई व सिपाहियों के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। जिस शिकायत पर आप द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। दिनांक 08.02.2022 को मैंने रावतभाटा थाने के सिपाही गिरिराज को 06 हजार रुपये दिये थे, जिसकी वार्तालाप मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डर में टेप करके आपको दी थी, बाकी 14 हजार रुपये बाद में देना तय हुआ था। जो कि मेरे द्वारा आपको 14 हजार रुपये दिनांक 09.02.2022 को रिश्वत में दिये जाने के लिए रंग लगाकर रखे थे जो कि कार्यवाही नहीं होने के कारण आपके पास सुरक्षित रखे हुये थे। दिनांक 02.03.2022 को रावतभाटा सीआई साहब राजाराम गुर्जर ने मुझे गिरफ्तारी वारन्ट में थाने में बंद कर दिया था और मेरे साथ काफी मारपीट की और मेरे से बोला कि तूने एसीबी में हमारी शिकायत करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे देख लूंगा और मुझे जेल भिजवा दिया। दिनांक 09.03.2022 को मेरी जमानत हुई तब मैं जेल से बाहर आया। रावतभाटा सीआई और उनका स्टाफ मुझे डरा धमका रहे है। इन लोगो को मेरे द्वारा एसीबी में शिकायत करने की जानकारी हो गई है। इसलिये ये लोग अब मुझसे न तो रिश्वत की बात करेंगे और ना ही रिश्वत राशि लेंगे। अतः निवेदन है कि मेरे द्वारा आपको जमा करवायी गई राशि 14 हजार रुपये वापस लौटाने की कृपा करे।" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा हुआ तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सत्य होना पाया गया। परिवारी ने बताया कि रावतभाटा थाने के सीआई साहब व पुलिसकर्मियों को मुझ पर एसीबी में शिकायत करने का शक हो गया है। इसलिये वह मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेंगे। प्रार्थना पत्र एवं परिवारी के बताये अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.30 ए0एम0 पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 34 साल निवासी गणेश मेटल के पीछे,

अनिष

मांगरोल रोड बाईपास बारां हाल सहायक वाणिज्यक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां एवं श्री मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ग्राम व पोस्ट मुण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां हाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां को जर्ज मोबाईल श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 के कार्यालय हाजा पर तलब किया गया। समय 12.05 पी0एम0 पर कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाह श्री शिवराज सहायक वाणिज्यक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां एवं श्री मनोहरलाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे परिवादी श्री आदिल हुसैन द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र पढवाया गया। जिसको पढने के बाद दोनो गवाहो ने प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 12.30 पी0एम0 पर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.02.2022 जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड थी को कार्यालय के लेपटॉप में सेव किया गया। दोनो गवाहो एवं परिवादी के समक्ष उक्त वार्ताओ की कार्यालय के लेपटॉप से चार डी0वी0डी0 श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 से नियमानुसार डब करवायी गई। जिनमें से एक डी0वी0डी0 माननीय न्यायालय के लिए, एक डी0वी0डी0 आरोपी के लिए एवं एक डी0वी0डी0 आवाज नमूना की कार्यवाही के लिए कपडे की थेली में रखकर सील मोहर किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। एक डी0वी0डी0 बिना सील के अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखी गयी। कार्यवाही की फर्द डी0वी0डी0 डबिंग वार्ता व जप्ती डी0वी0डी0 नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त चारों डीवीडी मालखाने में सुरक्षित रखवायी गयी। समय 01.15 पी0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री आदिल हुसैन द्वारा पेशकशी के दौरान मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द की गई रिश्वत राशि चौदह हजार रुपये फिनोपथलीन पाउडर युक्त को श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 से मालखाने से निकलवाये गये। रिश्वत राशि चौदह हजार रुपये को फिनोपथलीन पाउडर झटका कर परिवादी श्री आदिल हुसैन को वापस लौटाये गये। जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 पी0एम0 पर बाद कार्यवाही परिवादी श्री आदिल हुसैन व स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराज सहायक वाणिज्यक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां एवं श्री मनोहरलाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-प्रथम जयपुर डिस्कॉम, बारां को सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री आदिल हुसैन अंसारी पुत्र श्री इकरामुद्दीन अंसारी जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी आदर्श नगर वार्ड नं. 04, बीएड कॉलेज के पास रावतभाटा जिला चित्तौडगढ द्वारा कस्बा रावतभाटा में कबाडे का काम किया जाता है। थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ के थानाधिकारी श्री राजाराम पुलिस निरीक्षक, श्री कमलेश हैड कानि0, श्री गिरिराज कानि0 व श्री नरेन्द्र कानि0 द्वारा परिवादी को चोरी का माल खरीदने की धमकी दी गई तथा कबाडे का काम करने की व चोरी के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 20000 रुपये प्रति माह बन्दी के रूप में रिश्वत की मांग की गई। जिसकी एक हस्तलिखित शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां पर की गई। शिकायत का दिनांक 08.02.2022 को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया तो सत्यापन के दौरान आरोपी श्री गिराज प्रसाद गुर्जर कानि0 643 थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी से मासिक बन्दी के रूप में 20000 रुपये रिश्वत की बात की तथा सत्यापन के दौरान ही आरोपी श्री गिरिराज कानि0 द्वारा परिवादी से 6000 रुपये प्राप्त कर लिये व बाकि 14000 रुपये एक दो दिन बाद देना तय किया गया। जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.02.2022 से होती है। इसके बाद दिनांक 09.02.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री गिराज प्रसाद गुर्जर कानि0 थाना रावतभाटा द्वारा अचानक कार्य आ जाने से गांव जाना बताया तथा रिश्वत राशि परिवादी से बाद में लेना कहा गया। इसके बाद दिनांक 02.03.2022 को परिवादी श्री आदिल हुसैन को श्री राजाराम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ व अन्य स्टाफ द्वारा परिवादी को पुराने लडाई झगडे के प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारन्ट में गिरफ्तार किया गया। परिवादी के कहे अनुसार व परिवादी स्वयं द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार श्री राजाराम गुर्जर पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी आदिल हुसैन के साथ एसीबी में शिकायत करने की कह कर मारपीट की गई। आरोपीगण को परिवादी पर शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री गिराज प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री शिवजीराम निवासी रानोली, थाना व तह0 पीपलु जिला टोंक राज0 कानि 643 थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ का कृत्य अपराध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।


अनिष

(अनिष अहमद)

उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बारां।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) श्री गिराज प्रसाद गुर्जर, तत्कालीन कानि. नम्बर 643, पुलिस थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 149/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।




उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1310-14 दिनांक 29.4.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।



उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।